



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX, WB & SIKKIM
आयकर भवन, पी-7, चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता-700069

Aayakar Bhawan, P- 7, Chowringhee Square, Kolkata - 700 069

टेलीफोन नंबर/ Tel. No. : (033) 2213 6150 फैक्स/ Fax: (033) 2213 6989

ईमेल आईडी/ e-mail id : kolkata.dcit.hq.admin.vig@incometax.gov.in

फा.स. PCCIT/WBS/Admn/DC/Est(Gz)/75/Prom(ITI-ITO)/2025-26

Date: 29.01.2026

ORDER No.: 231 of 2025-26

भाग/Part- I: नियमितिकरण / Regularization:

निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाओं को आयकर अधिकारी के ग्रेड में रिक्ति वर्ष 2026 के लिए 01.02.2026 या ऐसे नियमितिकरण पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से नियमित किया जाता है/ The services of the following Officers are hereby regularized in the grade of Income Tax Officer for the V.Y 2026 with effect from 01.02.2026 or the date of their joining on such regularization, whichever is later:-

Sl.No.	Name (Smt / Shri)	Date of Birth
1.	ATANU KUMAR CHATTERJEE	02-12-1972
2.	SUBHASISH BANERJEE	08-05-1970
3.	SUMIT DASGUPTA	17-02-1979
4.	ABHISHEK KUMAR SINGH	01-05-1981
5.	SOURAV MITRA	12-11-1981
6.	GYAN PRAKASH	05-09-1971
7.	RUPA CHAKRABORTY	12-12-1989
8.	SUMIT PAUL	11-11-1988

उपर्युक्त अधिकारियों से अनुरोध है कि वे कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/2017-स्था.(वेतन-I) दिनांक 27.07.2017 के पैरा-3 के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के मामले में पदोन्नति की तारीख से 1 (एक) माह के भीतर अपना विकल्प चुनें/ The above Officers are hereby asked to exercise their option within 1 (one) month of the date of promotion in the matter of fixation of pay on such promotion in terms of Para-3 of the Ministry of Personnel, Public Grievances Pension (Deptt. Of Personnel & Training) Office Memorandum No. 13/2/2017-Estt.(Pay-I) dated 27.07.2017.



भाग/ Part-II: तदर्थ पदोन्नति/ Ad-hoc Promotion

(a) निम्नलिखित आयकर निरीक्षकों को 01.02.2026 अथवा स्वस्थाने आधार पर ऐसी पदोन्नति पर उनके कार्यग्रहण करने की तिथि में, जो भी बाद में हो, से वेतन स्तर 8 (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड रु.9300 - 34800/- ग्रेड वेतन रु.4800/- के साथ) में आयकर अधिकारी के रूप में तदर्थ पदोन्नति दी जाती है / The following **Inspectors of Income Tax** are hereby appointed on promotion as **Income-tax Officer** in the Pay Level 8 (Pre-revised Pay Band Rs.9300 – 34800/- with Grade Pay Rs.4800/-) on **ad-hoc basis**, with effect from 01.02.2026 or the date of joining on such promotion on **in-situ** basis, whichever is later:

Sl.No.	Name (Shri)	Date of Birth
1.	BIMALENDU DEY	04-08-1971
2.	SATYA NARAYAN MAITY	30-11-1971
3.	SABYASACHI BHATTACHARYYA	04-11-1972
4.	AMAR PAL	19-09-1966
5.	SUBRATA DUTTA	10-10-1971
6.	ARSHAD REZA	05-05-1974

(b) तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है/ The Ad-hoc promotion is subject to the following conditions:

- तदर्थ पदोन्नति से संबंधित अधिकारी को आ.अ. के ग्रेड में वरिष्ठता या आ.अ. के रूप में नियमित पदोन्नति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा / The Ad-hoc promotion shall not confer on the Officials concerned, any right to claim seniority in the grade of ITO or regular promotion as ITO;
- अधिकारियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है/ The Officials are liable to be reverted at any time without assigning any reason.
- डीओपीटी के दिनांक 30.03.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28036/8/87-स्था.(डी) के पैरा संख्या 5 के अनुसार यह पदोन्नति एक वर्ष के लिए या फीडर कैडर में उनके वापस लौटने या ऐसी पदोन्नति के नियमित होने में से जो भी पहले हो तक वैध है, बशर्ते इसमें प्रासंगिक नियमों के अनुसार विस्तार नहीं किया जाता है/ The promotion is valid for one year or till their reversion to the feeder cadre or regularization of such promotion, whichever is earlier, in terms of Para No.5 of DoPT OM No.28036/8/87-Estt.(D), dated 30.03.1988, unless it is further extended as per relevant rules.
- तदर्थ पदोन्नति होने के कारण अधिकारीगण एफआर 22(1)(ए)(1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के पात्र नहीं हैं वे नियमित रिक्ति के आधार पर नियमितीकरण पश्चात् विकल्प चुनने के पात्र होंगे/ The Officials are not entitled to exercise their option provided under F.R. 22(1)(a)(1) being ad-hoc promotion. They will be entitled to exercise their option on their regularization against regular vacancy.



भाग/ Part-III:

- (a) उपरोक्त तदर्थ और नियमित दोनों प्रकार की पदोन्नति की निरंतरता किसी भी न्यायालय के किसी अन्य आदेश/न्यायिक घोषणा या इस संबंध में केंद्रकबो/का. व प्र. वि./मासंवि द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों के अधीन होगी/ The continuation of above promotion both ad-hoc and regular is further subject to any other order/judicial pronouncement of any court or instructions/guidelines issued by CBDT/DoPT/HRD in this regard.
- (b) इस आदेश के भाग-II में संबंधित व्यक्ति कृपया ध्यान दें कि पदोन्नति से इंकार करने की स्थिति में, उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/91-स्था.(डी), दिनांक 27.03.1997 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86-स्था.(डी), दिनांक 10.04.1989 के अनुसार उक्त पदोन्नति से इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगली रिक्ति होने तक, जो भी बाद में हो, पदोन्नति से वंचित कर दिया। /The Official concerned in Part II of this Order may please note that in the event of their refusing promotion, they would be debarred from promotion for a period of one year from the date of refusal of said promotion or till the next vacancy arises, whichever is later, as per the D.O.P&T's O.M No. 22011/5/86-Estt.(D), dated 10.04.1989 read with O.M. No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.1997.
- (c) इस आदेश के भाग I एवं II में आयकर अधिकारी के ग्रेड में आने वाले व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता यथासमय अलग से अधिसूचित की जाएगी। / The *inter se seniority* of the persons appearing in Part I & II of this order, in the grade of Income Tax Officer will be notified separately in due course.
- (d) इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 09.02.2026 तक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के कार्यालय तक भेजी जानी है। / A compliance report in this regard should reach the Office of the Pr. CCIT, WB & Sikkim by 09.02.2026.
- (e) यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। / This issues with the approval of the Competent Authority.

Sd/-

(अश्विनी प्रसाद, भा.रा.से. / ASWINI PRASAD, I.R.S.)

अपर आयकर आयुक्त (प्रशा. व कर दाता सेवाएं), कोलकाता

Addl. Commissioner of Income Tax (Admn. & Tax Payer Services), Kolkata

मेमो संख्या/ M.No. PCCIT/WBS/Admn/DC/Est(Gz)/75/Prom(ITI-ITO)/2025-26/18746-18895

Date: 29.02.2026

सूचना एवं आवश्यक कारवाई के लिए प्रतिलिपि/ Copy for information and necessary action to:

1. प.बं व सिक्किम क्षेत्र के सभी मु.आ.आ./ आ.महा.नि./ All CCsIT/ DGIT in W. B. region.
2. प.बं व सिक्किम क्षेत्र के सभी प्र.आ.आ./ प्र.आ.नि./All PCsIT/ PDIT in W. B. region.
3. प.बं व सिक्किम क्षेत्र के सभी आ.आ./ आ.नि./ आ.अ.म.नि./ All CsIT/ DsIT/ ADG in W. B. region.
4. लेखा अधिकारी, क्षेलेका, कें.प्र.क.बो, कोलकाता / The Accounts Officer ; ZAO, CBDT, Kolkata.
5. सचिव, भा.रा.से संगठन, पश्चिम बंगाल / The Secretary, IRS Association, West Bengal.
6. सचिव, आ.रा.अ.सं., पश्चिम बंगाल इकाई / The Secretary, ITGOA, West Bengal Unit.



7. सचिव आई.टी.ई.एफ सर्कल/ The Secretary, ITEF, Bengal Circle.
8. सचिव, अखिल भारतीय अधि.जा/जन जा. कार्मिक कल्याण संगठन, पश्चिम बंगाल इकाई / The Secretary, All India Income-tax SC & ST Employees' Welfare Association, W. B. Unit.
9. संबंधित सभी अधिकारियों की जानकारी के लिए राजपत्रित स्थापना अनुभाग को विभागीय वेबसाइट www.incometaxkolkata.gov.in पर अपलोड करने हेतु/ Gazetted Confidential Section for uploading order in departmental website : www.incometaxkolkata.gov.in, for information of all concerned Officers.
10. गार्ड फाईल/ Guard File.



211
29/01/2016

(आशुतोष कुमार साहू, भा.रा.से. / ASHUTOSH KUMAR SAHU, I.R.S)
आयकर उपायुक्त, मुख्या. (प्रशा. व सतर्कता), कोलकाता
DCIT, Hqrs.(Admn. & Vigilance), Kolkata